

न्यायालय: प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।
उपस्थित : हर्षित सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।
अग्रिम जमानत आवेदन पत्र संख्या-30/2026

दीपक कुमार बनाम् बिहार सरकार

वैशाली थाना कांड संख्या-545/2025

अंतर्गत धारा-25(1-b)a, 26, 35 आर्म्स एक्ट।

13-03-2026

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को सुना। उनके द्वारा एक आवेदन दाखिल कर निवेदित किया गया है कि अनुसंधान के क्रम में आवेदक की उक्त कांड में संलिप्तता नहीं पायी गई है इसलिए आवेदक **दीपक कुमार पेसर-बिनोद पासवान** के तरफ से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन प्रचालित नहीं करना चाहते हैं उसे वापस लेने की अनुमति दी जाय।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के उपरोक्त तर्कों से विद्वान लोक अभियोजक सहमत है। उभय पक्षों के तर्कों एवं उपरोक्त तथ्यों के आलोक में आवेदक के तरफ से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन सं०-30/2026 वापस लिये जाने के आधार पर **खारिज** किया जाता है।

लेखापित

(हर्षित सिंह)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
वैशाली, हाजीपुर।